



प्रेषक,

सुबास राम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6**लखनऊ : दिनांक : 26 मई, 2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत प्रयागराज क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 17 चालू कार्यों पर धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार पं० दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत प्रयागराज क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 17 चालू कार्यों हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार रू० 122.78 लाख (रूपये एक करोड़ बाइस लाख अटहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू० लाख में)

क्रम सं०	मुख्य अभियन्ता (मु०-1) का पत्रांक एवं दिनांक	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश	स्वीकृत/ प्राविधिक लागत	बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20822/CE-HQ1/ PDDUY/ PRJ/ 2026-27 Dt- 27-04-2026	नि.ख.-2 प्रतापगढ़	ढेकाही से गुरूखुलहन सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण।	270/2023/ 2471/ 001-23- 9002-002-43-2023,-दिनांक-06-11-2023	60.49 60.49	6.14	54.35	36.20	18.15	18.15
2	21322/CE - HQ1/ PDDUY/ PRJ/ 2026-27 Dt- 11-05-2026	नि.ख.-1 प्रतापगढ़	पूरे भाव सिंह का पुरवा सम्पर्क मार्ग	53/2025/ 1485/23-6099 (099)/277 /2024-दिनांक-05-02-2025	75.44 72.53	0.05	72.48	52.78	19.70	16.00
3	21322/CE - HQ1/ PDDUY/ PRJ/ 2026-27 Dt- 11-05-2026	नि.ख.-1 प्रतापगढ़	जमेठी बसहीपुर मार्ग से पंचपेड़ा सम्पर्क मार्ग	तदेव	43.4 42.10	0.00	42.10	23.53	18.57	9.00
4	तदेव	नि.ख.-1 प्रतापगढ़	सराय कीरत सम्पर्क मार्ग से भीरा का पुरवा सम्पर्क	तदेव	59.17 57.66	0.00	57.66	41.07	16.59	6.50
5	तदेव	नि.ख.-1 प्रतापगढ़	लालगंज कालाकांकर मार्ग से किसुनदासपुर सम्पर्क मार्ग	तदेव	35.08 34.70	0.11	34.59	12.04	22.55	12.00
6	तदेव	नि.ख.-1 प्रतापगढ़	बाबागंज गुजवर मार्ग से सुबेदार का पुरवा सम्पर्क मार्ग	तदेव	64.08 61.85	0.01	61.84	37.09	24.75	20.00
7	21377/ CE-HQ1/ PDDUY/ PRJ/ 2026-27 Dt- 12-05-2026	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	रसार यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग	तदेव	60.16 60.16	14.87	45.29	38.95	6.34	3.23
8	तदेव	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	मुगरांव प्रजापति एवं थोबी बस्ती (नोनियान) होते हुए कुसारीसम्पर्क एवं गैवसाला तक सम्पर्क मार्ग	तदेव	58.51 58.51	14.23	44.28	36.27	8.01	4.83

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9	तदैव	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	पिपरी पानी टंकी से अमिलौटी तक सम्पर्क मार्ग	तदैव	53.37 53.37	6.75	46.62	32.63	13.99	9.90
10	तदैव	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	अवरता (केवटान बस्ती) सम्पर्क मार्ग	तदैव	74.56 74.56	10.85	63.71	58.56	5.15	1.58
11	तदैव	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	सिरसा से दसेर वाया दुधरा सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 साड़ा चौराहे सेसाड़ी सम्पर्क मार्ग	तदैव	41.94 41.94	5.50	36.44	33.46	2.98	1.03
12	तदैव	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	लोकमनपुर करारी भदेली मार्ग से बख्तियारा हरिजन बस्ती सम्पर्कमार्ग	तदैव	36.59 36.59	7.09	29.50	26.89	2.61	1.03
13	तदैव	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	पी0एच0 मार्ग से लखरौवा सम्पर्क मार्ग	तदैव	56.47 56.47	5.41	51.06	46.60	4.46	0.64
14	तदैव	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	कटरा गुलाब सिंह मार्ग से ऊचडीह सम्भल (थम्भन) का पूरा सम्पर्कमार्ग	तदैव	64.83 64.83	7.31	57.52	50.40	7.12	3.54
15	तदैव	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	जोगीपुर फत्तेशाह से जैसिंह का पुरा मार्ग	तदैव	55.20 55.20	10.57	44.63	29.57	15.06	12.25
16	तदैव	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	रामगढ़ कोठारी में नहर की पुलिया से डा0 भीमराव अम्बेडकर प्राथमिकविद्यालय से शिवगढ़ अनुसूचित बस्तीकेघर होते हुए नन्दलाल के घर तक मार्ग	तदैव	42.11 42.11	6.20	35.91	33.09	2.82	1.30
17	तदैव	नि.ख.-4 कु.मे. प्रयागराज	कनेहटी बाबूराज मार्ग किमी0-2 से प्राइमरी प्राठशाला नरायनपुरसम्पर्क मार्ग	तदैव	75.44 75.44	19.46	55.98	50.59	5.39	1.80
कुल योग										122.78

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (3) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डीडी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।
- (6) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(7) यदि परियोजना की स्वीकृत लागत में अनुरक्षण की धनराशि सम्मिलित है, तो उसे व्यय न करके समर्पित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,22,78,000 (रुपये एक करोड़ बाईस लाख अठहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043379600 पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुबास राम)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण) उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
- 4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियंता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 9- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 11- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबास राम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।